# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

**क्रमांक :- रीडर/2025/125** दिनांक :- 24.02.2025

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

**विषयः-** प्रकरण संख्या 09/2024 अनवान गुरमेल कौर बनाम बिल्लू सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित निर्णय **दिनांक 24.02.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.013-0.013 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 21/1, 22/1 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.026-0.026 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 व मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 21/1, 22/1 की कुल 0.117 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते